



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ 1948 (श10)
(सं० पटना 554) पटना, सोमवार, 1 जून 2026

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

1 जून 2026

सं० B1-03-78/2026-30—बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अनुसरण में बिहार राज्य के माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 01.06.2026 को जारी अधिसूचना संख्या- 29 (हिन्दी एवं अंग्रेजी) तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा बिहार विधान परिषद् में भरे जाने वाले पदों की संख्या एवं निर्वाचन कार्यक्रम से संबंधित अधिसूचना संख्या- 322/बिहार-वि.प./2026 (एम.एल.ए.)(1) दिनांक 01.06.2026 तथा रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या- 322/बिहार-वि.प./2026 (एम.एल.ए.)(2) दिनांक 01.06.2026 (हिन्दी एवं अंग्रेजी) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

1 जून 2026

सं० B1-03-78/2026-29—यतः बिहार राज्य में, राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य की विधान परिषद् के 09 (नौ) सदस्यों के स्थान 28 जून, 2026 को उनकी पदावधि समाप्त होने के कारण उनकी सेवानिवृत्ति होने पर रिक्त होने वाले हैं जिनका विवरण इस प्रकार है—

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	सेवानिवृत्ति होने की तारीख
1.	डा० कुमुद वर्मा	28.06.2026
2.	प्रोफेसर गुलाम गौस	
3.	मो० फारूक	
4.	भीसम साहनी	
5.	श्रीभगवान सिंह कुशवाहा (दिनांक 16.11.2025 से रिक्त)	
6.	संजय प्रकाश	
7.	समीर कुमार सिंह	
8.	सम्राट चौधरी (16.11.2025 से रिक्त)	
9.	सुनिल कुमार सिंह	

यतः इस प्रकार उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से द्विवार्षिक निर्वाचन कराया जाना है;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम् 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अनुसरण में, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि बिहार राज्य के राज्यपाल राज्य की विधान सभा के सदस्यों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम् के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए नियमों और आदेशों के अनुसार उक्त रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से राज्य की विधान परिषद् के लिए नौ सदस्य निर्वाचित कर दें।

आदेश से और राज्यपाल के नाम से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव—सह—
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ।

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 1st June, 2026

No. : B1-03-78/2026-29—WHEREAS, the seats of 09 (Nine) members of the Legislative Council of the State of Bihar, elected by the members of Legislative Assembly of the State are due to fall vacant on 28th June, 2026 on retirement of those members, on the expiration of their term of office as detailed below:

S.No.	Name of Member	Date of Retirement
1.	Dr. Kumud Verma	28.06.2026
2.	Professor Ghulam Ghous	
3.	Mo. Farooq	
4.	Bhisma Sahani	
5.	Sribhagwan Singh Kushwaha (vacated w.e.f. 16.11.2025)	
6.	Sanjay Prakash	
7.	Samir Kumar Singh	
8.	Samrat Choudhary (Vacated w.e.f. 16.11.2025)	
9.	Sunil Kumar Singh	

WHEREAS, a Biennial election has to be held for the purpose of filling the above vacancies so arising;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission, in pursuance of section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is, hereby, pleased to call upon the Members of the Legislative Assembly of the State, to elect Nine members to the Legislative Council of the State, for the purpose of filling the above said vacancies, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

By order and in the name of the Governor,
MADHAV KUMAR SINGH,
Additional Secretary-cum-
Additional Chief Electoral officer, Bihar.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001 दिनांक 01 जून, 2026

ज्येष्ठ 11, 1948 (शक)

सं. 322/बिहार-वि.प./2026.एम.एल.ए.(1)- यतः, बिहार राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अधीन जारी और राज्य के शासकीय राजपत्र में 01 जून, 2026 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य की विधान सभा के सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे राज्य में विधान परिषद् के लिए नौ सदस्य निर्वाचित कर दें।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 08 जून, 2026 (सोमवार)
- (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 09 जून, 2026 (मंगलवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख - 11 जून, 2026 (गुरुवार)
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा - 18 जून, 2026 (गुरुवार)
- (ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 20 जून, 2026 (शनिवार) और;

(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 1st June, 2026 Jyaishta 11, 1948 (Saka)

No. 322/BR-LC/2026 (MLAs) (1): - WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by notification issued under Section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the official Gazette of the State on 01st June, 2026 been pleased to call upon the members of the Legislative Assembly of the State, to elect Nine members to the Legislative Council of the State: -

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission hereby –

(A) appoints, with respect to the said election –

- (a) the 08th June, 2026 (Monday), as the last date for making nominations;
- (b) the 09th June, 2026 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 11th June, 2026 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 18th June, 2026 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 20th June, 2026 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the State on the date specified above, for the election.

**BY ORDER,
SUMAN KUMAR DAS,
SECRETARY**

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001 दिनांक 01 जून, 2026

ज्येष्ठ 11, 1948 (शक)

सं. 322/बिहार-वि.प./2026-एम.एल.ए.(2)-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग बिहार राज्य सरकार के परामर्श से तारीख 01 जून, 2026 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित राज्यपाल की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार राज्य की विधान परिषद् के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में, एतद्वारा:-

- (i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और
- (ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
श्री छोटे पासवान, उप सचिव, बिहार विधान सभा	श्री सुधीर कुमार सिंह, उप सचिव, बिहार विधान सभा

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION***Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001**Dated: 1st June, 2026 Jyaishta 11, 1948 (Saka)*

No.322/BR-LC/2026-(MLAs) (2): - In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of Bihar, hereby: -

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer, and
- (ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning officer in the performance of his functions;

in respect of bye-election to the Legislative Council of the State of Bihar by the members of the Legislative Assembly of the State, to be held in pursuance of the Governor's Notifications published in the official Gazette of the State on 01st June 2026:-

TABLE

Officer designated as Returning Officer	Officer appointed as Assistant Returning Officer
1	2
Shri Chhote Paswan, Deputy Secretary, Bihar Legislative Assembly	Shri Sudhir Kumar Singh, Deputy Secretary, Bihar Legislative Assembly

**BY ORDER,
SUMAN KUMAR DAS,
SECRETARY.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 554-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>